

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2009

सा.का.नि. 322(अ).— भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 27) की धारा 51 की उप धारा (2) के खण्ड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** - (1) इन नियमों को भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (सचिव के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तों) नियम, 2009 कहा जाएगा ।
(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।
2. **परिभाषाएं** - इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;
 - (क) “अधिनियम” से भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 अभिप्रेत है;
 - (ख) “सचिव” से प्राधिकरण का सचिव अभिप्रेत है;
 - (ग) ऐसे शब्दों और पदों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त किए गए हैं तथा परिभाषित नहीं किए गए हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उनका उस अधिनियम के अधीन है ।
3. **सचिव का वेतन** - सचिव वेतन बैंड-4 में रु०37,400 - 67000 प्रतिमाह के वेतनमान में होगा, इसके लिए ग्रेड वेतन रु०10000 होगा ।
4. **सेवा की शर्तें** - सचिव के भत्ते, छुट्टी, कार्यारंभ समय, कार्यारंभ समय वेतन, अधिवाषिता की आयु तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसे नियमों व विनियमों के अधीन विनियमित होगी जो कि समय-समय पर केन्द्र सरकार के समूह “क” के अधिकारी के समतुल्य ग्रेड वेतन लेने वाले अधिकारी के संबंध में लागू होती हैं ।
5. **आवास** - (1) सचिव के सरकारी कर्मचारी होने व प्राधिकरण में प्रतिनियुक्त पर होने तथा उसे सामान्य पूल से रिहाइशी आवास आवंटित होने की स्थिति में वह सरकारी रिहाइशी आवास रखने का पात्र होगा व यदि सरकारी रिहाइशी आवास आवंटित नहीं हुआ हो अथवा लाभ नहीं उठाया गया हो, वह समतुल्य वेतन लेने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारी के समान मकान किराया भत्ता लेने का पात्र होगा ।

(2) यदि सचिव कि नियुक्ति किसी सरकारी कार्यालय से प्रतिनियुक्ति आधार पर नहीं हुई है तो वह अपने समतुल्य ग्रेड वेतन पाने वाले केन्द्र सरकार के सरकारी कर्मचारी को मिलने वाले मकान किराया भत्ता के बराबर ही मकान किराया भत्ता पाने का हकदार होगा ।

6. **चिकित्सा उपचार -** (1) बहिरंग चिकित्सा खर्चे - सचिव स्वयं के लिए तथा उद्घोषित पारिवारिक सदस्यों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु पात्र होगा ।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनार्थ "परिवार" शब्द का ठीक वही अर्थ है जो केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा उपचार) नियम, 1944 में दिया गया है ।

(i) बहिरंग चिकित्सा खर्चे की प्रतिपूर्ति, वास्तविक खर्चे या साल में 01 जनवरी को एक माह के वेतन (मूल वेतन + मंहगाई भत्ता) इनमें से जो भी कम हो, तक सीमित रहेगी । दावे के साथ प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत डॉक्टर का औषध पत्र तथा डॉक्टर द्वारा उपचार के लिए दवाईयों की खरीद संबंधी कैश मेमो/बिल संलग्न किए जाएं । वर्ष के दौरान वेतन वृद्धि या पदोन्नति मिलने से वर्ष के 01 जनवरी को विद्यमान सीमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । यदि सचिव वर्ष के दौरान प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण करता है तो वार्षिक हकदारी आनुपातिक आधार पर सीमित कर दी जाएगी ।

(ii) बहिरंग उपचार प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नामावली (पैनल) में से प्राधिकृत चिकित्सक से कराना होगा ।

(2) अन्तरंग उपचार -

(i) अन्तरंग उपचार के लिए सचिव चिकित्सा उपचार के संबंध में प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अस्पतालों में उपचार कराने हेतु हकदार होगा तथा इस संबंध में अस्पताल, आवास, परिचर्या, गृह सुविधा आदि सहित उपचार का खर्च, समतुल्य ग्रेड वेतन पा रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा उपचार) नियम, 1944 के प्रावधानों के अनुसार होगा ।

(ii) उपर्युक्त (i) के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अस्पताल वही होंगे जो केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा उपचार) नियम, 1944 द्वारा शासित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं ।

(iii) आपात स्थिति को छोड़कर प्राधिकृत अस्पतालों में उपचार प्राधिकरण के प्राधिकृत चिकित्सक की सलाह पर ही कराया जाए ।

7. **सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) अथवा अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ), पेंशन तथा ग्रेच्युटी -**

(i) सरकार की ओर से सचिव की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति आधार पर न किये जाने की स्थिति में, वह अंशदायी भविष्य निधि का पात्र होगा और इसका विनियमन अंशदायी भविष्य निधि नियमावली 1962 द्वारा किया जाएगा ।

- (ii) सचिव की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति आधार पर किये जाने की स्थिति में, उनपर भविष्य निधि योजना लागू रहेगी जैसा कि उनके मूल मंत्रालय अथवा विभाग अथवा संगठन में उन पर लागू है ।
- (iii) सचिव के प्रतिनियुक्ति पर न होने की स्थिति में, वह ग्रेच्युटी अधिनियम, 1976 के अनुसार ग्रेच्युटी के भुगतान का पात्र होगा ।
- (iv) सचिव की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति आधार पर न किये जाने की स्थिति में, वह प्राधिकरण द्वारा केन्द्र सरकार के परामर्श से बनाई गई योजना के अनुसार समूह बीमा के लाभ का पात्र होगा ।
बशर्ते कि सचिव पेंशन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा ।

8. विदेशी दौरों के संबंध में यात्रा भत्ता - (1) सचिव की विदेश में दौरे पर जाने की स्थिति में - सचिव की विदेश में फॉरेन डेपुटेशन (विदेशी दौरा) की अनुमति अध्यक्ष द्वारा दी जाएगी ।

- (2) हवाई यात्रा की पात्रता - सचिव समतुल्य ग्रेड वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए समय-समय पर उपलब्ध सुविधाओं के समकक्ष विमान द्वारा विदेश यात्रा का पात्र होगा ।
- (3) प्रतिदिन (डायम) हॉल्टिंग भत्ता - विदेश दौरे के दौरान, सचिव 350 अमरीकी डॉलर प्रतिदिन की दर से प्रतिदिन (डायम) भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा तथा नेपाल के मामले में यह दर 250 अमरीकी डॉलर प्रतिदिन होगी (जिसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना है) ।

बशर्ते -

- (क) प्रस्तावित प्रतिदिन (डायम) एक समेकित राशि होगी जो वास्तविक राशि तक सीमित होगी और कमरे के किराए, टैक्सी प्रभार, मनोरंजन, यदि कोई है, आधिकारिक टेलीफोन कॉल, समतुल्य ग्रेड वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए समय-समय पर उपलब्ध दर से दैनिक भत्ते से संबंधित वाऊचर प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन होगी ।
- (ख) यदि सरकारी एजेंसियों के मेजबान संगठन, भारतीय मिशनों द्वारा पूर्ण हॉस्पिटलिटी (अर्थात् लॉजिंग तथा बोर्डिंग) सुविधा मुहैया कराई जाती है तो ठहरने की सम्पूर्ण अवधि के लिए आकस्मिक व्यय 100 अमरीकी डॉलर प्रतिदिन (डायम) होंगे । नेपाल के मामले में, यह राशि 50 अमरीकी डॉलर प्रतिदिन (डायम) होगी । ऐसी स्थिति में, मित्तव्ययिता संबंधी कटौती भी, यदि कोई है, जैसा कि केन्द्र सरकार के अधिकारियों के लिए लागू है, 100 अमरीकी डॉलर अथवा 50 अमरीकी डॉलर, जैसा भी मामला हो, की दर से लागू होगी ।
- (ग) यदि केवल निःशुल्क लॉजिंग सुविधा मुहैया कराई जाती है तो ऐसी स्थिति में सामान्य दर पर प्रतिदिन (डायम) के 50 प्रतिशत की दर से नगद भत्ता लागू होगा ।
- (घ) लगातार सात दिनों से अधिक ठहराव की स्थिति में, 8वें दिन से 28वें दिन तक प्रतिदिन (डायम) 250 अमरीकी डॉलर होगा तथा लगातार अट्ठाईस दिनों से अधिक ठहराव के लिए प्रतिदिन (डायम) का निर्णय, मुहैया कराई गई सुविधाओं को देखते हुए, मामला-दर- मामला आधार पर किया जाएगा ।

(ड) यदि लॉजिंग तथा परिवहन से संबंधित प्रबंध व्यवस्था विदेश में संबंधित भारतीय मिशन के माध्यम से कराई जाती है, तो समतुल्य ग्रेड वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए समय-समय पर उपलब्ध दर से केवल दैनिक भत्ता तथा अन्य आकस्मिक व्यय ही अनुमेय होंगे ।

9. **अवशिष्ट मामले** - सचिव की सेवा की निबंधन व शर्तों से संबंधित वे मामले, जिनके बारे में इन नियमों में कोई सुस्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, समतुल्य ग्रेड प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के समूह “क” अधिकारी के अनुसार होंगे ।

[फा. सं. ए वी. 24011/003/2009-एडी]

अरुण मिश्रा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2009

G.S.R. 322(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 51 of the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008, (27 of 2008), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Airports Economic Regulatory Authority of India (Salary, Allowance and other Conditions of Services of Secretary) Rules, 2009.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.** --- In these rules, unless the context otherwise requires, -
 - (a) “Act” means the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008;
 - (b) “Secretary” means the Secretary of the Authority;
 - (c) All other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively as assigned to them in the Act.
3. **Salary of Secretary.** - The Secretary shall be entitled to a monthly salary in the Pay Band 4- Rs.37,400 -67000 with grade Pay of Rs. 10,000.
4. **Conditions of service.**- The allowances, leave, joining time, joining time pay, age of superannuation and other conditions of service of Secretary, shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are, from time to time, applicable to the officers and employees of the Central Government belonging to Group ‘A’ and drawing equivalent grade pay.

1786 98109-4

5. **Accommodation.**- (1) Where the Secretary is a Government employee on deputation to the Authority and has been allotted residential accommodation under General Pool shall be eligible to retain the facility of Government residential accommodation and in case Government residential accommodation has not been allotted or availed, he shall be eligible for House Rent Allowance at par with Central Government servant drawing equivalent pay.
- (2) Where the Secretary is not appointed on deputation from the Government shall be entitled to House Rent Allowance at par with those applicable to Central Government servant drawing equivalent grade pay.

6. **Medical Treatment.**-(1) Outdoor Medical expenses- The Secretary shall be eligible to get medical reimbursement for self and declared members of family.

Explanation -For the purpose of this clause, the expression "family" has the same meaning as assigned to it in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

- (i) The reimbursement of outdoor medical expenses shall be limited to the actual expenses or one month's pay on 1st January of the year (Basic pay + Dearness Allowance) whichever is less. The claim should be supported by Doctor's prescription who are authorized by the Authority and the original cash memos /bills for treatment by the Doctor's and purchase of medicine. Release of increment or promotion during the year shall not affect the limit as on 1st January of the year. In case Secretary joins the Authority during the year, the annual entitlement shall be restricted on pro-rata basis.
- (ii) The outdoor treatment shall be taken from the Authorised Medical Practitioner from the panel to be maintained by the Authority.
- (2) Indoor treatment-
- (i) for the purpose of indoor treatment the secretary shall be entitled for medical treatment at hospitals authorized by the Authority in this behalf, and for the purpose cost of treatment including hospital accommodation, nursing home facility, etc. shall be as per the provisions of the Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944 as applicable to the Central Government employees drawing equivalent grade pay;
- (ii) the authorized hospitals for the purpose of (i) above shall be the same as are available to the Central Government employees regulated by Central Services (Medical Attendance) Rule 1944;
- (iii) treatment at authorized hospitals may be taken on the advice of the authorised Medical Practitioner of the Authority except in emergency.

7. **General Provident Fund (GPF) or Contributory Provident Fund (CPF), Pension and Gratuity.**-(i) in case the Secretary is not appointed on deputation from the Government, he shall be entitled to subscribe to Contributory Provident Fund and shall be regulated by the Contributory Provident Fund Rules 1962.
- (ii) in case the Secretary is appointed on deputation, he shall continue to be governed by Provident Fund Scheme as is applicable to him in his parent Ministry or Department or organization.
- (iii) in case the Secretary is not on deputation, he shall be eligible for payment of gratuity as per the Gratuity Act, 1976;
- (iv) in case the Secretary is not appointed on deputation, he shall be entitled to Group Insurance benefit as per the Scheme to be formulated by the Authority in consultation with the Central Government.

Provided that such Secretary shall not be entitled to get pension.

8. **Travelling Allowances in respect of foreign tours.**-(1) Deputation of Secretary abroad. – the deputation of the Secretary to abroad shall be allowed by the Chairperson.

(2) Entitlement for travel by Air.- The Secretary shall be entitled to travel abroad by Air at par with facilities available from time to time to the Central Government employees drawing equivalent grade pay.

(3) Per diem halting allowance.- While on foreign tour, the Secretary shall be entitled to draw per diem allowance at the rate of US \$ 350 per day and for Nepal, the rate shall be US \$ 250 per day (to be paid in Indian currency).

Provided that –

(a) the proposed per diem would be a consolidated amount limited to actual subject to production of vouchers covering room rent, taxi charges, entertainment if any, official telephone calls, daily allowance at the rate available from time to time to Central Government employees drawing equivalent grade pay and other contingent expenditure.

(b) if full hospitality (i.e. lodging and boarding) is provided by the host organization of official agencies, Indian Missions, the incidental expenses would be US \$ 100 per-diem for the entire period of stay. In case of Nepal, the same would be US \$ 50 per diem. In such a case, economy cut, if any, as applicable to the Central Government officers shall also apply at the rate of US \$ 100 or US \$ 50, as the case may be.

- (c) in case only free lodging is provided, cash allowance at the rate of 50% of the per-diem at normal rate would be applicable.
- (d) in case of stay beyond seven consecutive days, the per diem from the 8th to 28th days shall be US\$ 250 and the rate of per diem for stay beyond twenty eight days consecutively shall be decided on case to case basis keeping in view the facilities provided.
- (e) in case the lodging and transport arrangements are made through the concerned Indian Mission abroad, only daily allowance at the rate available from time to time to Central Government employees drawing equivalent grade pay and other contingent expenditure shall be admissible.
9. **Residuary Matters.-** Matters relating to the terms and conditions of service of the Secretary with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be such as are admissible to a Group "A" officer of the Central Government drawing an equivalent grade pay.

[F. No. AV. 24011/003/2009-AD]

ARUN MISHRA, Jt. Secy.